भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-148
उत्तर देने की तारीख-22/07/2024

मानित विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती

†148. श्री केसिनेनी शिवनाथ:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार से 50 प्रतिशत से अधिक निधि प्राप्त कर रहे मानित विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है;
(ख) इन विश्वविद्यालयों में नियोजित संविदा शिक्षकों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;
(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष-वार कुल कितने पद स्वीकृत किए गए हैं और इन विश्वविद्यालयों में भरे गए पदों की संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार का उद्देश्य इन रिक्त पदों को निर्धारित समय में भरने का है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): ऐसे 16 मानित विश्वविद्यालय संस्थान (आईडीटीबीयू) हैं जिन्हें शिक्षा मंत्रालय से अपनी वार्षिक प्राप्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर निधियां प्राप्त हो रही हैं। इन आईडीटीबीयू में संस्वीकृत पदों की तुलना में नियोजित संविदा शिक्षकों की कुल संख्या 157 है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यूजीसी ने इनमें से 6 आईडीटीबीयू के लिए पदों को संस्वीकृति दी है। यूजीसी ने इन 6 आईडीटीबीयू में 1172 शिक्षण स्टाफ को संस्वीकृति दी है और उनमें से 779 पद भरे हुए हैं।

पदों का रिक्त होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। ये रिक्तियां सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और छात्रों की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं। शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों (सीएचईआई) को मिशन मोड में रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया है, जिसमें आरक्षित श्रेणी के पदों हेतु विशेष अभियान भी शामिल है। ये आईडीटीबीयू रिक्तियों को भरने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

*****